भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3710

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

ऊर्जा की सार्वभौमिक पहुंच

3710. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऊर्जा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में हुई प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की। सौभाग्य के तत्वावधान में, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी इच्छुक घरों में विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। इसके बाद, सात राज्यों नामत: असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर हैं, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसकी भी संस्वीकृति दी गई थी। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

इसके बाद, कुछ राज्यों ने सूचित किया था कि 11.84 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है, जिसके निमित्त, राज्यों ने सूचित किया कि 4.43 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तदनुसार, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं। यह स्कीम दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो चुकी है।

नए घरों का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे घरों के विद्युतीकरण का ध्यान वितरण यूटिलिटियों द्वारा रखा जाना अपेक्षित है। भारत सरकार सौभाग्य की संस्वीकृति के समय मौजूद सभी घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता हेतु प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, भारत सरकार ने हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत उनके विद्युतीकरण हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस संबंध में राज्यों को अपनी डीपीआर विद्युत मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई है।

(ग) : सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत सामना की गई चुनौतियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(i) दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में बिखरे हुए घर
(ii) दुर्गम और पहाड़ी इलाके, खराब मौसम, नदी के किनारे/दलदली/बर्फ से घिरे क्षेत्रों को कवर करने की आवश्यकता है।
(iii) हेड लोडिंग, हेलीकॉप्टर, बांस पुल, राफ्ट, नाव आदि द्वारा सामग्री का परिवहन।
(iv) खराब/अपर्याप्त विद्युत अवसंरचना
(v) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थित होना
(vi) वन क्षेत्र - अपेक्षित मंजूरी
(vii) स्थानीय स्तर पर सामग्रियों (जैसे पोल, वितरण ट्रांसफार्मरों, मीटरों आदि) की अनुपलब्धता
(viii) विभिन्न मार्गाधिकार संबंधी मुद्दे।

(घ) : इस संबंध में चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाए गए कदमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

I. राज्यों में कार्यक्रम में तेजी लाने पर बल देने के लिए सौभाग्य कार्यनीति निर्माण वर्कशॉप शुरू करना।
II. गाँवों/गाँवों के समूहों में शिविरों की स्थापना करना जिसमें जनप्रतिनिधियों (सांसदों, विधायकों, ग्राम प्रधान) ने बड़े पैमाने पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद की।
III. सौभाग्य के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण के लिए 14,270 करोड़ रुपये की अवसंरचना सहायता और भारत सरकार द्वारा राज्यों को पर्याप्त वित्तपोषण उपलब्ध कराया गया।
IV. 'वन नेशन वन नंबर' टोल-फ्री हेल्पलाइन और विशेष अभियान 'सौभाग्य रथ' के माध्यम से 24x7 संचार ने प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर आदि) जैसे विभिन्न मीडिया विकल्पों के साथ जागरूकता पैदा करने में मदद की।
V. कार्यान्वयन के तरीकों में राज्यों के लिए लचीलापन (विभागीय/टर्नकी/अर्ध-टर्नकी)।
VI. एक व्यापक वेब पोर्टल *'saubhagya.gov.in'* विकसित किया गया था और दिन-प्रतिदिन की निगरानी को सक्षम बनाने के लिए पोर्टल पर प्रगति को अद्यतित करने के लिए डिस्कॉम को पहुंच प्रदान की गई थी।
VII. उत्पादों और उपकरणों की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) के साथ समन्वय करना।
VIII. कार्यबल के प्रभावी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ समन्वय के माध्यम से, अपेक्षित कौशल युक्त पर्याप्त कुशल जनशक्ति की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना।
IX. ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं की निगरानी में 350 से अधिक इंजीनियरों अर्थात ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) को तैनात किया गया था।
X. हेलीकॉप्टरों और भारतीय रेलवे का सहयोग अज्ञात तथा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने में सहायक थे।
XI. सरकारी केंद्र राज्यों और वितरण यूटिलिटियों के सभी स्तरों पर निगरानी एवं समीक्षाएं करना।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3710 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण/डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त संस्वीकृतियां और उपलब्धि (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों के नाम	सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत मूल घर	सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		कुल जोड़
		दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत कुल घर	संस्वीकृत अतिरिक्त घर	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत अतिरिक्त घर	
1	*2*	*3*	*4*	*5=3+4*	*6*	*7*	*8=5+7*
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930	0	1,81,930			**1,81,930**
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	**47,089**
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149	480249	381507	**23,26,656**
4	बिहार	32,59,041	0	32,59,041			**32,59,041**
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	40,394	7,89,791	21981	2577	**7,92,368**
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			**41,317**
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			**54,681**
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			**12,891**
9	जम्मू और कश्मीर	3,77,045	0	3,77,045			**3,77,045**
10	झारखंड	15,30,708	2,00,000	17,30,708			**17,30,708**
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798			**3,83,798**
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			**10,456**
13	मध्य प्रदेश	19,84,264	0	19,84,264	99722	0	**19,84,264**
14	महाराष्ट्र	15,17,922	0	15,17,922			**15,17,922**
15	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115	21135	0	**1,08,115**
16	मेघालय	1,99,839	0	1,99,839	420	401	**2,00,240**
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			**27,970**
18	नागालैंड	1,32,507	0	1,32,507	7009	7009	**1,39,516**
19	ओडिशा	24,52,444	0	24,52,444			**24,52,444**
20	पुडुचेरी*	912	0	912			**912**
21	पंजाब	3,477	0	3,477			**3,477**
22	राजस्थान (जयपुर)	18,62,736	2,12,786	20,75,522	210843	52206	**21,27,728**
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			**14,900**
24	तमिलनाडु *	2,170	0	2,170			**2,170**
25	तेलंगाना	5,15,084	0	5,15,084			**5,15,084**
26	त्रिपुरा	1,39,090	0	1,39,090			**1,39,090**
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571	334652	0	**91,80,571**
28	उत्तराखंड	2,48,751	0	2,48,751			**2,48,751**
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290	0	7,32,290			**7,32,290**
कुल		**2,62,84,350**	**18,85,374**	**2,81,69,724**	**11,83,870**	**4,43,700**	**2,86,13,424**

* ***सौभाग्य से पूर्व विद्युतीकृत और सौभाग्य के तहत वित्त पोषित नहीं हैं।***

****